न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120040982025

Warrant or Summons Criminal Case/2081/2025

परिवाद संख्या–1021/2025
श्रीमती प्रिया त्यागी बनाम श्रीमती रेनू
अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादिनी श्रीमती प्रिया त्यागी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विपक्षी श्रीमती रेनू के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी / परिवादिनी उपरोक्त शान्तिप्रिय कानून मे विश्वास रखने वाली महिला है। प्रार्थिनी / परिवादिनी और विपक्षी एक–दूसरे से परिचित हैं तथा एक–दूसरे के घर भी आना जाना है तथा विपक्षी प्रार्थिनी / परिवादिनी से जरुरत पड़ने पर रुपये उधार लेती रही हैं तथा उनको वापिस करती रही हैं। दिनांक 02.07.2025 को विपक्षी प्रार्थिनी / परिवादिनी के घर आयी तथा विपक्षी के द्वारा प्रार्थिनी / परिवादिनी को बताया गया कि मुझे एक माह के लिए 80 हजार रुपये की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा विपक्षी को दिनांक 02.07.2025 को 80,000/– रुपये एक माह के लिए विपक्षी पर भरोसा करते हुए विपक्षी को नकद उधार दे दिये तथा विपक्षी के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़मुक्तेश्वर का एक चैक सं0–110928 दिनांकित 02.07.2025 अंकन 80,000/– रुपये प्रार्थिनी/परिवादिनी को दिया तथा कहा कि आप एक माह बाद 01.08.2025 को उक्त चैक को बैंक मे लगा देना आपको भुगतान हो जायेगा। प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा एक माह का समय व्यतीत होने के पश्चात दिनांक 02.08.2025 को उक्त चैक सं0–110928 को कैनरा बैंक शाखा गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ मे लगाया जो दिनांक 04.08.2025 को बैंक द्वारा उक्त चैक रिटर्न मीमो मे Funds Insufficient कहकर प्रार्थिनी / परिवादिनी को वापस कर दिया गया। प्रार्थिनी/परिवादिनी ने विपक्षी को इस बारे में अवगत कराया और विपक्षी से अपनी धनराशि अंकन 80,000/– रुपये (अस्सी रुपये) मांगे तो विपक्षी के द्वारा प्रार्थिनी / परिवादिनी को धनराशि देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा कहा कि ना तो मैं आपके रुपये दूंगी, अपितु किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दूंगी। विपक्षी न तो नकद भुगतान कर रही हैं ना ही अपने बैंक में पैसे जमा कर रही हैं जिस कारण चैक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार विपक्षी प्रार्थिनी / परिवादिनी को लगातार धोखा देती चली आ रही हैं और अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रही हैं और विपक्षी की नीयत में बदनियती आ गयी है जिस कारण विपक्षी प्रार्थिनी / परिवादिनी को उक्त चैक का भुगतान नहीं कर रही हैं। प्रार्थिनी/परिवादिनी ने विपक्षी/अभियुक्ता को एक नोटिस दिनांक 28.08.2025 को बजरिये पंजीकृत डाक प्रेषित जो विपक्षी / अभियुक्ता पर दिनांक 29.08.2025 को विधिवत् तामीला हो चुका है, तामीला होने के पश्चात् समय सीमा के अन्तर्गत रकम नहीं लौटायी है।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में एक किता असल चैक संख्या 110928, अंकन 80,000/– रूपये दिनांकित

02.07.2025, एक किता असल रिटर्न मेमो, एक किता लीगल नोटिस मय असल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 28.08.2025 व ट्रैक रिकार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

विपक्षी के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये। विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा आपत्ति में परिवाद के विरूद्ध कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत चेक देना स्वीकार किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तलबी के प्रश्न पर परिवादिनी श्रीमती प्रिया त्यागी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामले में विपक्षी श्रीमती रेनू द्वारा 110928, अंकन 80,000/– रूपये दिनांकित 02.07.2025 परिवादिनी को दिया गया था। जो Funds Insufficient की टिप्पणी करते हुए परिवादिनी को बिना भुगतान के ही वापिस कर दिया गया। परिवादिनी द्वारा विपक्षी को पैसे का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया तथा दिनांक 10.10.2025 को प्रस्तुत परिवाद दर्ज कराया गया। नोटिस का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचित करना है जिसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अं०धारा 138 एन.आई.एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त श्रीमती रेनू के विरूद्ध अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार प्रतीत होता है

आदेश

1. अतः अभियुक्त **श्रीमती रेनू पत्नी चन्द्रबोस निवासी थाने के सामने वाली गली, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश** को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक– 08.05.2026 के द्वारा सम्मन तलब किया जाता है।
2. परिवादिनी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहों की सूची पत्रावली पर दाखिल करें।
3. उपरोक्त आदेश पैरवी व गवाहों की सूची दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.04.08 13:19:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court